

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- 1656 /ल0डा0न0ख0मी0/ टेण्डर /मीरजापुर, दिनांक, 11.09.2019

विषय :-अल्पकालीक निविदा सूचना संख्या 02 /अधि0अभि0/2019-20 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के अल्पकालिक निविदा सूचना संख्या 02/अधि0अभि0/2019-20 पत्र की छः प्रतियों सी0डी0 सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न निविदा सूचना का प्रकाशन इस जनपद व आस-पास के जनपदों के प्रचलित किन्ही दो राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दो दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : सूचना छः प्रतियों में तथा एक अदद सी0डी0 सहित।

भवदीय

(विश्व विजय कृष्णा)
अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:- /ल0डा0न0ख0मी0/निविदा/2019-20/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निविदा की एक प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निविदा सूचना व सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ कि निविदा सूचना विभागीय टेण्डर साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर को अवलोकनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल/सिंचाई कार्य मण्डल/बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-1/2, मीरजापुर।
7. अधिशाली अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड/सिरसी बाँध प्रखण्ड/सिंचाई खण्ड, चुनार /बाण सागर नहर निर्माण खण्ड- 5/7/8 एवं 10 मीरजापुर।
8. अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर/ अनुरक्षण खण्ड, भदोही।
9. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर।
10. नोटिस बोर्ड हेतु।

(विश्व विजय कृष्णा)
अधिशाली अभियन्ता

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर
ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कार्यों की निविदा सूचना**

निविदा सूचना संख्या 02/अधि0अभि0/ल0डा0न0ख0मी0/2019-2020

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से टेबल-1 में निम्नानुसार आनलाईन <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से प्रीक्वालिफिकेशन टेक्निकल एवं फाइनेंशियल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों से टेबल-2 के अनुसार आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक 30-09-2019 को अपरान्ह 2.00 बजे ऑनलाईन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड मीरजापुर अथवा उक्त हेतु गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। प्रीक्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड में सफल निविदादाताओं की फाइनेंशियल बिड भी अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर अथवा उक्त हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 01-10-2019 को अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी। प्रीक्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड में सफल निविदादाताओं को ऑनलाईन सूचित की जायेगी।

टेबल-1

लॉट संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत(लाख रुपये में)	धरोहर धनराशि (लाख रुपया में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य(रुपया में)	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	4	5	6	7	8	9
01	Fabrication & Installation of New L.T. Pannel for Sakhaura Pump Canal Mirzapur to support 150 H.P.X 7 Nos. Pump Set for Irrigation purpose.	बिल ऑफ़ क्वांटिटी के अनुसार	22.00	2.20	04 माह	2,000.00 + 12 % GST	यांत्रिक "A"श्रेणी या उच्च
02	Fabrication of Barge for Sakhaura Pump Canal Mirzapur Size- 18 x 9.0 x 1.90 mtr	बिल ऑफ़ क्वांटिटी के अनुसार	22.00	2.20	02 माह	2,000.00 + 12% GST	यांत्रिक "A"श्रेणी या उच्च

टेबल-2 महत्वपूर्ण तिथियां

S.N.	Particulars	Date	Time
1	2	3	4
1-	Notification	12-09-2019	
2-	Uploading of Tender on website	18-09-2019	14.00 hr.
3-	Bid Submission Start	18-09-2019	15.00 hr.
4-	Bid Submission End	28-09-2019	14.00 hr.
5-	Submission of Original Document	28-09-2019	up to 17.00 hr.
6-	Technical Bid Opening	30-09-2019 in the office of E.E. M.L.C.D. Mirzapur	14.00 hr.
7-	Financial Bid Opening	01-10-2019	14.00 hr.

- इस निविदा/बिड की सूचना/विवरण/शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाईट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट <http://irrigation.up.nic.in> सूचना पर भी उपलब्ध रहेगी।
- निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं क्रमांक 2 पर वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध है। निविदादाता समस्त शर्तों के लिए एवं Corrigendum के लिए वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

**अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड मीरजापुर**

नियम व शर्तें

1. निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3)के समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड मीरजापुर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड मीरजापुर उत्तर प्रदेश से ड्राइंग आदि अवलोकित किया जा सकता है ।
2. निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी। एक निविदादाता केवल एक ही निविदा कर सकता है एवं एक ही निविदा डाल सकता है। निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदायें डालने पर उसके द्वारा डाली गयी किसी भी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा तथा समस्त निविदाओं में लगी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र का मूल्य तालिका-1 के अनुसार समस्त वैधानिक कर सहित अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड मीरजापुर जो मिर्जापुर मुख्यालय में देय हो, जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. बार्ज निर्माण के कार्य हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा लघु डाल नहर खण्डों में बार्ज निर्माण के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
- 4.1 निविदा आमंत्रित किये जाने वाले माह से पिछले 03 वर्षों में कार्य का अनुभव होना चाहिए।
5. ठेकेदार/फर्म को विगत तीन वर्षों का आयकर विभाग से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र अथवा विगत तीन वर्षों के जमा करना होगा। आलोच्य वर्षों में यदि किसी वर्ष का निर्धारण लम्बित है तो ठेकेदार या फर्म को उक्त वर्ष का आयकर जमा विवरण देना होगा कि उस पर किसी प्रकार की आयकर देयता नहीं होना चाहिये ।
6. नियमानुसार देय जी0एस0टी, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबंध से पूर्व नियमानुसार धरोहर धनराशि एवं स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।
7. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है ।
9. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

- 10.1 यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 10.2 कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 10.3 राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
11. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की निविदा निरस्त की जा सकती है।
14. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यों की दर विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर तथा सिक्योरिटी डिपोजिट एवं परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबंध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
16. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण-दोष (Merit) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
- अ. जी0एस0टी तथा पैन कार्ड की प्रति।
- ब. धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीयकृत बैंको के एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 आदि के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के पद नाम से बंधक होगी, के रूप में स्वीकार की जायेगी।
- स. निविदा के साथ 100/- का स्टैम्प पेपर जिस पर रू0 1/- का रेवेन्यू टिकट लगा हो, निविदा की वैधता की शर्तें/दरें 90 दिवस तक के लिये मान्य हों संलग्न करना होगा। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. बार्ज निर्माण में की जाने वाली वेल्डिंग दो कोट होनी चाहिए, इसमें पोरोसिटी, एयर ब्लो होल्स, कैंक्स, स्पैटर्स आदि नहीं होने चाहिए। बार्ज निर्माण में प्रयोग की जाने वाली Sheet गुणवत्ता पूर्वक Bend की जानी चाहिए, इसमें कही भी Bulzing नहीं होनी चाहिए।

18. लघु डाल नहरों में L.T.Pannel के निर्माण कार्य का अनुभव होना चाहिए,कार्य करने वालो कर्मियों का बैध वायरमैन परमित होना चाहिए। कार्य करने वाले कर्मियों L.T./ H.T. विद्युत लाइन पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। पैनल के निर्माण में की जाने वाली वायरिंग की Crimpling, Jointing आदि Spark Proof होना चाहिए।
19. सभी कार्य I.D. Specification के अनुसार होना चाहिए।
20. T.A.C. अथवा विभागीय जाँच में पायी गयी कमी के लिए Recovery ठेकेदार के Bill से किया जायेगा।

(विश्व विजय कृष्णा)
अधिशाली अभियन्ता